



दिल्ली विकास प्राधिकरण

गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- 197

दिनांक: 09/2/2024

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. निम्नलिखित निजी सहायकों/ग्रेड 'सी' आशुलिपिकों को निजी सचिव के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में (जो कि छठे वेतन आयोग में 9300-34800/-रु0 के पे बैंड में 4800/-रु के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं :

क्रम सं./ वरि.सं.	नाम व पिता / पति का नाम सर्वश्री/-	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/521	श्रीमती प्रवीन कौर धर्मपत्नी श्री बलविंदर सिंह मल्होत्रा	अधिकासी अभियंता / विद्युत् खंड-10
2/522	श्रीमती आशा कटोच धर्मपत्नी श्री उत्तम चंद	अधिकासी अभियंता / दक्षिणी पश्चिमी खंड-8
3/523	सत्य नारायण शर्मा सुपुत्र श्री साही राम शर्मा	रोहिणी परियोजना खंड - 5
4/538	श्रीमती पुष्पा वर्मा धर्मपत्नी श्री जे.के. वर्मा	हिंदी विभाग
5/539	राज कुमार सुपुत्र श्री चरणजीत लाल	आयुक्त एवं सचिव
6/548	किरन पाल सिंह सुपुत्र श्री चंदर पाल सिंह	मुख्य अभियंता (उत्तरी क्षेत्र)
7/552	जय दयाल सुपुत्र श्री जीवन लाल	प्राधिकरण सदस्य
8/553	श्रीमती शीला देवी धर्मपत्नी श्री इन्दर सिंह	मुख्य अभियंता (परियोजना)

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत 9300-34800/-रु0 के वेतन मान में 4800/-रु0 के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जोकि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर निर्धारित होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।


3. निजी सचिव के पद पर अधिकारियों की पदोन्नति के परिणाम स्वरूप सक्षम अधिकारी, दि.वि.प्रा. ने उनकी तैनाती को निम्नानुसार अनुमोदित किया है :-

क्रम सं0 / वरि.सं0	नाम व पिता/पति का नाम सर्वश्री/-	स्थान से	स्थान को
1/521	श्रीमती प्रवीन कौर धर्मपत्नी श्री बलविंदर सिंह मल्होत्रा	पदोन्नति पर	सिविल परिमंडल - 15 (श्रीमती अनीता पाहुजा के स्थान पर, जो 28.02.21 को सेवानिवृत्त हो रही है)
2/522	श्रीमती आशा कटोच धर्मपत्नी श्री उत्तम चंद	पदोन्नति पर	उप मुख्य विधि सलाहकार (श्रीमती रमेश के स्थान पर, जो सेवानिवृत्त हो चुकी है)
3/523	सत्य नारायण शर्मा सुपुत्र श्री साही राम शर्मा	पदोन्नति पर	मुख्य अभियंता (डिज़ाइन) (रिक्त स्थान पर)
4/538	श्रीमती पुष्पा वर्मा धर्मपत्नी श्री जे.के. वर्मा	पदोन्नति पर	मुख्य अभियंता (द्वारका) (श्रीमती सुशीला रानी के स्थान पर)
5/539	राज कुमार सुपुत्र श्री चरणजीत लाल	पदोन्नति पर	आयुक्त एवं सचिव (रिक्त स्थान पर)
6/548	किरन पाल सिंह सुपुत्र श्री चंदर पाल सिंह	पदोन्नति पर	मुख्य अभियंता (उत्तरी क्षेत्र) (रिक्त स्थान पर)



7/552	जय दयाल सुपुत्र श्री जीवन लाल	पदोन्नति पर	प्राधिकरण सदस्य (श्री योगेश कुमार वर्मा के स्थान पर)
8/553	श्रीमती शीला देवी धर्मपत्नी श्री इन्दर सिंह	पदोन्नति पर	निदेशक (प्रणाली) (श्रीमती कृष्णा गोसाईं के स्थान पर)

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।

  
(धर्मन्द्र शर्मा)


उप निदेशक (गोपनीय शाखा)

दिनांक:- 09/02/2021

सं-एफ.10(09)2021/सी.सी./ 157

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष के विशेष कार्यकारी अधिकारी के निजी सचिव।
2. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
3. प्राधिकरण सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
4. प्रधान आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
5. मुख्य अभियंता (उत्तरी क्षेत्र) / द्वारका / रोहिणी / परियोजना / डिजाइन, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
6. आयुक्त (कार्मिक) / आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
7. आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
8. उप मुख्य विधि सलाहकार, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
9. अधीक्षण अभियंता, सिविल परिमंडल - 15, दि.वि.प्रा.।
10. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता 1 एवं 2 / प्रणाली, दि.वि.प्रा.
11. उप निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / सतर्कता (प्रशा.) / आरक्षण कक्ष / हिंदी विभाग, दि.वि.प्रा.।
12. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us->Organisation->Personnel->Promotions 2021)
13. अधिशासी अभियंता, विद्युत् खंड-10, दक्षिणी पश्चिमी खंड-8, रोहिणी परियोजना खंड - 5, दि.वि.प्रा.।
14. लेखाधिकारी (संस्था) राजपत्रित / योजना / सम्बंधित (सी.ए.यू), दि.वि.प्रा.।
15. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / पी.आई.एम.एस. / गोपनीय कक्ष-2, दि.वि.प्रा.।
16. उक्त उल्लिखित अधिकारी।
17. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।

  
(आर.के. सक्सैना)

सहायक निदेशक (गोपनीय)